हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2022-23)

जल शक्ति विभाग

भारत के नियन्त्रक -महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016- 17 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित है।

239<u>वाँ प्रतिवेदन</u>

(दिनांक: 12अगस्त, 2022 को सदन में उपस्थापित किया गया।)

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	(i)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	(1-11)

समिति का गठन

सभापतिः

श्रीमती आशा कुमारी

सदस्यः

2. श्री हर्षवर्धन चौहान
3. श्री अर्जुन सिंह
4. श्री रविन्द्र कुमार
5. श्री आशीष बुटेल
6. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
7. श्री राकेश जम्वाल
8. श्री जीत राम कटवाल
9. श्री सुभाष ठाकुर
10. श्री होशयार सिंह
11. श्री भवानी सिंह पठानिया

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्री जितेन्द्र सिंह कंवर : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति(तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से **239 वाँ मूल प्रतिवेदन** जोकि **जल शक्ति विभाग** से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष **2016-17(राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र)** की समीक्षा पर आधारित है, को सदन में उपस्थापित करती हूँ।

समिति(वर्ष 2022-23) का गठन हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 209 व 211 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: वि0स0-विधायन समिति गठन/1-14/2018, दिनांक 28 मार्च, 2022 को किया गया।

समिति, सचिव(जल शक्ति), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं विभाग के अन्य पदाधिकारियों का आभार प्रकट करती है, जिन्होंने समिति को लिखित उत्तर की सूचना दिनांक 02 अगस्त, 2018 को उपलब्ध करवाई।

समिति, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से समय-समय पर आयोजित समिति की बैठकों में अपना सहयोग दिया।

समिति ने दिनांक **03अगस्त, 2022** की आयोजित बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त इस प्रतिवेदन को अपनाया तथा सभापति महोदय को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया।

समिति, सचिव, विधान सभा तथा इस सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन को तैयार करने में सहयोग दिया।

आशा कुमारी

दिनांक: **03 अगस्त, 2022** **(आशा कुमारी)**
शिमला-171004. सभापति,
लोक लेखा समिति।

प्रतिवेदन

जल शक्ति विभाग

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 20 16-17(राज्य के वित्त/ सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र के विभागीय उत्तरों पर आधारित।

राज्य के वित्त

पैरा संख्या: 2.3.1	अधिक व्यय
पैरा संख्या: 2.3.1.1	प्रावधानों की तुलना में आधिक्य जो नियमन हेतु अपेक्षित
पैरा संख्या: 2.3.1.2	निरन्तर व्यय आधिक्य
पैरा संख्या: 2.3.1.3	प्रावधान रहित व्यय
पैरा संख्या: 2.3.1.4	अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान के परिणामस्परूप बचत/अधिक व्यय
पैरा संख्या: 2.3.2	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन
पैरा संख्या: 2.3.3	व्यय का तीव्र प्रवाह
पैरा संख्या: 2.3.4	आबंटित प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोजन
पैरा संख्या: 2.3.4.1	निरन्तर बचतें
पैरा संख्या: 2.3.4.2	अधिक मात्रा में अभ्यर्पण
पैरा संख्या: 2.3.4.3	प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न करना
पैरा संख्या: 2.5	चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम
2.5.1.1	बजट एवं व्यय
पैरा संख्या: 2.5.1.3	बजटीय रिटर्न को प्रस्तुत करने में विलम्ब
पैरा संख्या: 2.5.2	अनुदान संख्या-13 "सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता"
पैरा संख्या: 2.5.2.1	बजटीय रिटर्न को प्रस्तुत करने में विलम्ब
पैरा संख्या: 3.4	दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि

टिप्पणी

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित पैरों पर समिति अपना अभिमत सम्बन्धित प्रतिवेदनवर्ष 2016-17 में देगी।

पैरा संख्या: 1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

टिप्पणी

समिति ने इस पैरे को यहां से इस आशय से समाप्त किया है कि इससे सम्बन्धित विभागीय कार्रवाई सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 के पैरा संख्या: 1.8.1 में अपेक्षित रहेगी।

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों

पैरा संख्या: 2.3.1	परिचय
पैरा संख्या: 2.3.2	संगठनात्मक ढ़ांचा
पैरा संख्या: 2.3.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य
पैरा संख्या: 2.3.4	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा पद्धति
पैरा संख्या: 2.3.5	लेखापरीक्षा मापदण्ड
पैरा संख्या: 2.3.62	रूपात्मक अध्ययन
पैरा संख्या: 2.3.6.8	बाढ़ संरक्षण प्रस्तावों को अनुमोदन
पैरा संख्या: 2.3.7	निधियन प्रबन्ध
पैरा संख्या: 2.3.9	राज्य स्कीम के अन्तर्गत बाढ़ संरक्षण आबंटन कार्यों का निष्पादन
2.3.9.1	राज्य स्कीम के अन्तर्गत बाढ़ संरक्षण आबंटन तथा व्यय
पैरा संख्या: 2.3.10.2	संविदाकारों से निष्पादन बैंक गारंटी
पैरा संख्या: 2.3.10.4	कार्यों के विभाजन के कारण अतिरिक्त व्यय
पैरा संख्या: 2.3.11.2	वाहन का अनियमित क्रय
पैरा संख्या: 2.3.11.3	योगदान का वार्षिक अंशदान में अनियमित प्रभारित करना
पैरा संख्या: 2.3.11.4	अनुमोदन से पूर्व किया गया अस्वीकार्य व्यय
पैरा संख्या: 2.3.12	बाढ़ पूर्वानुमान, आपातकालीन कार्रवाई योजना/आपदा प्रबन्धन योजना
2.3.12.1	बाढ़ पूर्वानुमान
पैरा संख्या: 2.3.12.2	आपातकालीन कार्रवाई योजना
पैरा संख्या: 2.3.13	अनुश्रवण तथा मूल्यांकन
2.3.13.1	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम परियोजनाओं का अनुश्रवण
पैरा संख्या: 2.3.14	निष्कर्ष
पैरा संख्या: 2.3.15	सिफारिशें

टिप्पणी

उपरोक्त पैरों के सन्दर्भ में विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती है।

पैरा संख्या: 2.3.6 योजना

पैरा संख्या: 2.3.6.1 बाढ़ संभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक निर्धारण

पैरा संख्या: 2.3.6.1 रूपात्मक अध्ययन

पैरा संख्या: 2.3.6.3 विस्तृत मास्टर योजना

पैरा संख्या:2.3.6.4 फ्रिक्वेंसी आधारित बाढ़ जलपलवन मानचित्र तथा डिजीटल उच्चता मानचित्र

पैरा संख्या: 2.3.6.5 बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण के लिए विधान

पैरा संख्या: 2.3.6.6 बर्फीली झील के टूटने से बाढ़ तथा भू-स्खलन के कारण बांध टूटने से बाढ़ों का अध्ययन करने की तैयारी

पैरा संख्या: 2.3.6.7 ब्यास नदी के तटीकरण का गणितीय अध्ययन

समिति ने दिनांक 03 सितम्बर, 2021 को विभागीय प्रतिनिधि जल शक्ति का मौखिक साक्ष्य किया गया जिसके सन्दर्भ में उक्त पैरों में विभागीय प्रतिनिधि से चर्चा की गई। चर्चा उपरान्त समिति ने इन पैरों को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

टिप्पणी

समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय उत्तरों पर चर्चा उपरान्त उपरोक्त पैरों को समाप्त करने का निर्णय लिया।

पैरा संख्या: 2.3.6.9 अन्य बाढ़ संरक्षण उपायों की योजना न बनाना

समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय प्रतिनिधि से जानना चाहा कि विभाग द्वारा बाढ़ प्रबन्धन के संबंध में क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है तथा इस हेतु क्या कोई मानचित्र बनाए गए हैं ? पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करवाया जाए के प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि जहां तक मास्टर प्लान की बात है कि क्या वैज्ञानिक आधार पर सैटेलाइट रिमोट सैंसिंग या सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू कोई इस तरह की स्टडी करवाई है जिसके आधार पर मास्टर प्लान बनाया जाए तो विभाग ने ऐसा कोई मास्टर प्लान बनाया नहीं है। परन्तु विभाग समिति को यह अवगत करवाना चाहेगा कि सैंट्रल वाटर कमिशन ने नेशनल रिमोट सैंसिंग एजेंसी को हायर करके यह डाटा पूरे देश के लिए तैयार करवाया है। उस डाटा को ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए कंसर्नड स्टेट को भेजा है। यहां भी जो विभाग का सी0डब्ल्यू0सी0 विंग है उसको डाटा ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए आया था और ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद इंडिया की कुछ स्टेट्स ने उसे वापिस लौटा दिया है। उसके बाद सी0डब्ल्यू0सी0 विभाग को रिपोर्ट सबमिट करेगी। वह रिपोर्ट विभाग की काफी हद तक मदद कर देगी क्योंकि इसमें सारा कुछ रिमोट सैंसिंग के थ्रू हुआ है। वह विभाग को आगे चीज़ों को फोर्म अप करने में मदद करेगी। सी0डब्ल्यू0सी0 और एन0आर0एस0ए0 इस पर काम कर रहे हैं। विभाग को आशा है कि बड़ी जल्दी यह रिपोर्ट विभाग को मिल जाएगी। जहां तक विभाग का अपना प्रश्न है, विभाग को लगता है कि विभाग का फ्लड प्रोन एरिया 2.31 लाख हैक्टेयर है जिसमें से अभी तक विभाग ने 31 हैक्टेयर एरिया में फ्लड प्रोटैक्शन वर्क्स किए हैं। अभी विभाग का 21 स्कीम्ज का शैल्फ गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को गया हुआ है। वह 5754 करोड़ रुपये का है जिसमें लगभग 16 हजार हैक्टेयर एरिया प्रोटैक्ट होना है। उसमें से विभाग को 8 स्कीम्ज की 1153 करोड़ रुपये की इंवैस्टमैंट क्लीयरैंस भी मिल गई है। यह सब कुछ विभाग अपने स्तर पर कर रहा है। सी0डब्ल्यू0सी0 की गाइडलाइन्स बड़ी स्पष्ट हैं कि 25 करोड़ रुपये से ऊपर वाली जो भी स्कीम होगी उसके लिए सी0डब्ल्यू0पी0आर0एस0 या कोई और एजेंसी मॉडल बेस स्टडी करवा कर देगी तब वे वर्क्स एग्जिक्यूट होंगे। साढ़े 7 से लेकर 25 करोड़ रुपये वाले वर्क्स के लिए सी0डब्ल्यू0सी0 तकनीकी सहायता देता है और साढ़े 7 करोड़ रुपये से कम वाली स्कीम के लिए विभाग की STAC(State Technical Advisory Committee) करती है। परन्तु अपने आप में जो गणितीय मॉडल बनाना है वह कोई सस्ता नहीं है। अगर 7 करोड़ का काम हो और उस पर गणितीय मॉडल बनवाएं तो 1 करोड़ रुप ये उसी पर लग जाए तो वह उचित नहीं होगा। इस सन्दर्भ में समिति ने कहा कि विभाग नदी की चैनेलाइजेशन की बात कर रहा है , लेकिन वे बाढ़ से बचाव की बात कर रहे हैं। बाढ़ से बचाव का मतलब यह नहीं है कि विभाग ने सिर्फ तटीयकरण करना है। विभाग देखेगा कि ग्लेशियर मैल्ट हो रहे हैं अभी लाहौल में

चंद्रभागा में हुआ, धर्मशाला में हुआ । हर रूप में बाढ़ सुरक्षा विभागीय कार्य का एक अभिन्न अंग है। जो होटल बन रहे हैं वे पानी की निकासी के ऊपर गलत ढंग से बन रहे हैं, विभाग को उन्हें सूचित करना चाहिए। डिपार्टमैंट का एक-दूसरे के साथ समन्वय नहीं है, बातचीत नहीं है, वे अलाउ किये जा रहे हैं। 10-10 मंजिलों की बिल्डिंग्ज जहां से पानी की निकासी है वहां पर स्थित हैं। जो बोह (शाहपुर) में हुआ विभाग जानता है कि क्या कारण था। एस0एस0बी0 ने एक डंगा लगा दिया और जो पानी का नेचुरल फ्लो था वह बंद हो गया। उसमें पूरा गांव और लोग मर गए। यह भी बाढ़ सुरक्षा का एक हिस्सा है। जब समिति मास्टर प्लान की बात करती है , तो इसका मतलब केवल योजनाओं से नहीं होता है ; इसका मतलब है पूरा राज्य। वनों की कटाई , अवैज्ञानिक खनन और अवैज्ञानिक ब्लास्टिंग इसके कारण हैं। किन्नौर में क्या हुआ था? यह भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैज्ञानिक विस्फोट के कारण था। उससे पूरा पहाड़ नीचे आ गया, उससे नीचे फ्लडिंग हो गई और बहुत नुकसान हुआ। यहां तक कि बांधों की जांच भी विभाग के काम का हिस्सा है। पौंग डैम में कितनी सिल्ट आ गई है विभाग को इसके बारे में पता नहीं होगा। 50 फुट सिल्ट है। डैम वालों ने सिल्ट नहीं निकाली। बी0बी0एम0बी ने नहीं निकाली। यह विभाग का काम है। कल को देहरा एरिया भी फ्लडिड हो जाएगा। लारजी व पौंग डैम में सिल्ट आ गई है और खेतों में पानी घुसना शुरू हो गया है। इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि डैम्स बेसिकली पावर डिपार्टमैंट का मैंडेट है। इस पर समिति का कहना है कि वह बात ठीक है लेकिन प्रोटैक्शन व सेफ्टी मेजर देखना विभाग का काम है। ये सभी पैरा बाढ़ सुरक्षा पर आधारित हैं। समिति का मत है कि इसमें केवल विभागीय योजनाएं शामिल नहीं हैं , इसमें बाढ़ सुरक्षा भी शामिल है। इसकी देखभाल करना विभाग का काम है। सुन्दरनगर का जो बी0एस0एन0एल0 का प्रोजैक्ट है वहां से जो डिसिल्टिंग करते हैं उसको बाहर फेंकते हैं लेकिन आगे चैनेलाइजेशन नहीं है। इसलिए वह सिल्ट कहीं खेतों में जा रहा है, कहीं पर जमीनें खराब हो रही हैं। उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। यह स्थिति बहुत भयानक है। अभी यह शुरूआती दौर में है। इसलिए आज अगर कॉरैक्टिव मेजर ले सकें तो वह भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। देखिए, सरकार मानती है या नहीं मानती है वह अपनी जगह है परन्तु विभाग अपनी बात तो रखे कि क्या होना चाहिए। इसके लिए एक योजना होनी चाहिए। इस मोनो सिस्टम से क्यों चिपके हुए हैं कि विभाग ने पाइप लगानी है, यह करना है या वह करना है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है और विभाग के पास इसके बारे में सोचने की क्षमता है। एंवायरनमैंट को प्रोटैक्ट करने के लिए जो डिस्कस कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि सिल्ट इतनी हो जाएगी, कटाव इतना हो जाएगा कि डैम्स खराब हो जाएंगे। सिल्ट तो ऊपर से आ रही है, विभाग को एक वर्किंग ऐक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। विभाग बड़े रीवर-ब्यास, युमना के लिए तो कुछ कर रहे हो मगर जो छोटे-छोटे नाले हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं जोकि नॉन-पेरेनियल हैं उसके लिए विभाग को कोई वर्किंग प्लान बनाना पड़ेगा। पनबिजली परियोजनाओं से करोड़ों का मुनाफा कमाने वाली बिजली कंपनियां उन्हें राज्य सरकार को चैनलाइजेशन के लिए इस राशि का भुगतान करने के लिए कहती हैं। भरमौर में जो हुआ यह सिर्फ बिजली परियोजना के कारण था। ऐसा लगता है जो पोकलैंड से भी बड़े वाली मशीन है जब वह नीचे आई , अगर उस वीडियो को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई खिलौना नीचे आ रहा था। पूरा पहाड़ वाश हो गया। रोड्स व लैंड वाश अवे हो रहे हैं। सिटीज़ फ्लडिड हो रही हैं , विभाग को इस पर विचार करना होगा। विभाग समय लें और इन पैराओं को बहुत ध्यान

से पढ़ें। समिति विभाग को इन पैराओं को पढ़ने और कुछ प्रकार की योजनाओं के साथ समिति के सामने आने के लिए समय देगी जो अन्य विभागों को पारित की जा सकती है क्योंकि अन्य विभाग भी इससे संबंधित हैं। इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें पावर डिपार्टमैंट भी है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आज की डेट में रेवेन्यू डिपार्टमैंट है क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमैंट का क्लीयर कट मैंडेट है एस0डी0एम0ए0 में डिजास्टर मैनेज करना। उनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी Comprehensive Disaster Management Plan बनी हुई हैं और इन सभी चीजों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि अम्ब्रेला डिपार्टमैंट रेवेन्यू है। क्योंकि जिला आपदा प्रबंधन योजना और राज्य आपदा प्रबंधन योजना में जनादेश है। विभाग माननीय समिति से गुजारिश करता है कि अगर इस तरह की रेवेन्यू डिपार्टमैंट के प्रति अनुशंसा हो जाए तो अच्छा रहेगा। इस पर समिति ने विभागीय प्रतिनिधि से कहा कि संबंधित सभी विभागों के प्रति मुख्य सचिव को बोलेंगे कि इन सभी का समन्वय करके इस काम को करें , लेकिन मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण आपके विभाग का अधिदेश है। इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि जल शक्ति विभाग में बेसिकली इस तरह से रहा है कि फ्लड कंट्रोल के मायने यही है कि रीवर्स को चैनेलाइज करना है। जैसे नीचे प्लेन में पानी की रेंज है जोकि हिमाचल के फ्लड को अब्सॉर्ब करते हैं वैसे प्लेन विभाग के यहां पर नहीं हैं। हिमाचल में पानी inundate नहीं करता है। यह प्रॉब्लम हिमाचल की नहीं है। हिमाचल की जगहों से बहता हुआ पानी नीचे चला जाता है। यहां पर थोड़ा प्रॅस्पेक्टिव उस हिसाब से बदलना पड़ेगा। इस पर समिति ने जानना चाहा कि विभाग क्या कर रहा है और इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है। विभाग स्वयं एंश्योर कर रहा है एंवायरनमैंट इतना खराब हो जाए कि वे एरियाज जो फ्लड प्रोन नहीं थे, उनको फ्लड प्रोन बना रहे हैं के प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि विभाग सबमिट करना चाहता है कि इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं वे सभी इसमें आयेंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का है। जितने भी झील व ग्लेशियर हैं इनकी सारी स्टडी रिमोट सैंसिंग से वे लोग करवाते हैं। इस सन्दर्भ में समिति ने कहा कि बेसिकली आपका टेक्निकल है डिपार्टमैंट को नोडल डिपार्टमैंट बनाना पड़ेगा। इसमें अन्य डिपार्टमैंट्स की भी असिस्टैंस होगी। अभी तो विभाग पानी प्रोवाइड करा रहा है परन्तु 10-15 साल बाद एक समय आयेगा कि बाढ़ नियंत्रण पानी उपलब्ध कराने से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। विभाग इसमें थोड़ा स्टडी करे और एक प्रस्ताव के साथ समिति के पास वापस आएं। समिति अन्य विभागों के माध्यम से भी उस प्रस्ताव को लागू करने का प्रयास करेगी। लेकिन मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण जल शक्ति विभाग का काम है। आपदा प्रबंधन तब आता है जब कोई आपदा आती है। विभाग उस आपदा को रोकने वाला है, इसलिए विभाग को निवारक उपाय करने होंगे।

<u>सिफारिश</u>

समिति द्वारा दिए गए सुझाव अनुरूप विभाग द्वारा अन्य विभागों के साथ समन्व्य बनाकर बाढ़ नियंत्रण एवं नदीयों के तटीयकरण हेतु आवश्यक पग उठाए गए और वर्तमान में इस पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.8 बाढ़ प्रबन्धन का कार्यक्रम (भारत सरकार) के अन्तर्गत परियोजनाओं का निष्पाद

2.3.8.1 निधियों की उपलब्धता और उपयोगिता

सिफारिश

समिति का मत है कि विभाग परियोजनाओं को समय रहते निष्पादित करें तथा इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न हो इस सन्दर्भ में की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.8.2 भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

सिफारिश

समिति को शेष बची परियोजनाओं के निपटारे हेतु की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.8.3 परियोजना-वार कमियां

सिफारिश

पांवटा, गगरेट, सरकाघाट, गगरेट, इंदौरा मण्डल

समिति ने उक्त मण्डलों के विभागीय उत्तरों पर चर्चा उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया।

घुमारवीं मण्डल

समिति को नवीनतम स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पांवटा मण्डल

(1). समिति जानना चाहती है कि विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में तटबन्धन अथवा अन्य बाढ़ संरक्षण उपायों के प्रावधान हेतु क्या प्रयास किये गए की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

(2). विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती है।

पैरा संख्या: 2.3.9.2 निष्पादन की स्थिति

सिफारिश

समिति जानना चाहती है कि अपूर्ण योजनाओं के लिए वांछित राशि की उपलब्धता हेतु विभाग द्वारा क्या पग उठाए गए तथा इन योजनाओं को निश्चित समयावधि में पूर्ण कर अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.10 निविदा तथा संविदा प्रबन्धन

2.3.10.1 क्षतियों का पुन: स्थापना न करना

सिफारिश

समिति जानना चाहती है कि अधीक्षण अभियन्ता ने कार्यों को बन्द करने का निर्णय किस आधार पर लिया एवं क्या इस सन्दर्भ में उच्च अधिकारियों से अनुमति ली गई थी की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.10.3 विचलन का अनुमोदन न करने के कारण अनियमित भुगतान

सिफारिश

समिति जानना चाहती है कि मण्डलों के अधिशाषी अभियन्ताओं ने सक्षम अधिकारी से विचलन का पूर्व अनुमोदन सुनिश्चित क्यों नहीं किया ? कारणों सहित स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु विभाग ने क्या पग उठाए की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.10.5 संविदाकारों से खनिजों की रॉयलटी की वसूली न करना

सिफारिश

समिति को बकाया राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत होना चाहती है।

पैरा संख्या: 2.3.11 निधियों का प्रबन्धन

2.3.11.1 निधियों का अनियमित आहरण

सिफारिश

घुमारवीं, गगरेट/हरोली, इन्दौरा व सरकाघाट मण्डल

समिति ने उक्त मण्डलों के विभागीय उत्तरों पर चर्चा उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया।

पांवटा मण्डल

समिति को मु0 1.32 करोड़ की राशि की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.12.3 आपदा प्रबन्धन योजना तथा बांध सूरक्षा नियमन की अनुपालना

समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय प्रतिनिधि से जानना चाहा कि क्या कथित मामला ऊर्जा निदेशालय के साथ उठाया गया था तथा जल शक्ति विभाग को जिला प्रबन्धन योजना व जिला विकास प्रबन्धन प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि कर लिया गया है तो क्या उनके एवं बांध प्राधिकारियों द्वारा आपदा प्रबन्धन योजना तथा बांध सुरक्षा नियमन के प्रावधानों की अनुपालना की जा रही है? की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए। इसमें बेसिकली डैम सेफ्टी सैल नहीं बने हैं इस पर विभाग का क्या कहना है ? के प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि जैसा कि पहले कहा कि डैम्स बेसिकली पावर डिपार्टमैंट का मैंडेट है। जैसे समिति यह कह रही है कि विभाग को एक प्रॅपोजल के साथ आना चाहिए, इसमें ऐसे जितने भी पैराज हैं उनको कवर करते हुए देख लेते हैं और प्रॅपोजल बना लेते हैं। इस पर समिति ने जानना चाहा कि विभाग क्या कर रहा है और इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है । इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि इसमें स्टेक होल्डर पावर डिपार्टमैंट है। इस पर समिति ने कहा कि नहीं, जल शक्ति विभाग राज्य में बाढ़ सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। होता क्या है कि वे पानी छोड़ते हैं जैसे कि पौंग डैम में है , इससे बाढ़ आ रही है। तो यह एम 0पी0पी0 और बिजली विभाग का कार्य नहीं है , यह

जल शक्ति विभाग का कार्य है। और अगर यह दोनों विभागों के साथ निविदा में है , तो उनसे बात करें और कुछ निर्णय लें। समिति ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि यह राज्य और हमारे लोगों के हित में है। भले ही प्लेन एरिया के लोग हों या पहाड़ के लोग हों, जहां पानी जाएगा वहां तबाही मचायेगा। जहां फ्लड आयेगा वहां तबाही मचेगी चाहे वह नीचे मचे या ऊपर मचे। मुख्य बात यह है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, उस पर कैसे चैक रखना है। विभाग को एक विवरण बनाना चाहिए और उसे बी 0बी0एम0बी0 को देना चाहिए, वहां पावर प्रोड्यूसर जो भी है उसे कहो कि वे विभाग को इसका रिप्लाई दे। विभाग उस उत्तर को समिति के समक्ष रखें। उदाहरण के लिए जब से डैम बना, 1972 से लेकर आज तक डैम का जो लास्ट पोरशन देहरा है वहां से कभी सिल्ट नहीं निकाली। अब जब सिल्ट छोड़ी जा रही है तो वह देहरा क्षेत्र में छोड़ी जा रही है उससे हमारे खेत, जमीनें व सोर्सिज डैमेज हो रहे हैं। तो यह कहां लिखा गया है कि उसको नहीं रोक सकते। यह जल शक्ति विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। विभाग के पास उन्हें रोकने और उन्हें गाद हटाने के लिए कहने की शक्ति है क्योंकि वे पैसा कमा रहे हैं। हम अपने किसानों की भूमि को नष्ट नहीं कर सकते। आज जो 1410 फुट का एरिया था जहां पर 50 फुट पानी नीचे था, आज वहां पर 50 फुट सिल्ट आ चुकी है तो अब वह पानी कहां जायेगा ? वह पानी हमारे एरियाज में आयेगा। क्या विभाग के किसी अधिकारी ने इस बारे में सोचा है? क्या उनमें से किसी ने इस पर कोई शोध किया है, क्या कभी ज्वाइंट विजिट हुआ ? वह कभी नहीं हुआ। जब तक विभाग उनको बो लेगा नहीं तब तक वे कुछ नहीं करेंगे। वे तो आराम से बैठे रहेंगे। कम से कम विभाग को कहना चाहिए कि गाद नहीं हटाने से किसानों को नुकसान हो रहा है इसलिए इसे उचित तरीके से हटा दें। कम-से-कम जो विभाग के अधिकारी हैं उनको आप डायरेक्शन दे सकते हैं कि जो उपायुक्त के साथ माहवार बैठक होती है, इसे उपायुक्त के संज्ञान में लाया जाए और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। उस माहवार बैठक में विभाग के सारे अधिकारी होते हैं। हर कोई उन बांधों से गुजर रहा है और वे जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है। वे इस मामले को उपायुक्त से उठा सकते हैं कि ये सब सेफ्टी मेजर करने हैं विभाग समिति गठित करें । जल शक्ति अधिकारी उन्हें इसकी सूचना नहीं देते। सुन्दरनगर का जीवंत उदाहरण है हमने अपनी आंखों से देखा है कि बड़े पाइपों से सिल्ट को निकाल करके हमारे यहां डाल रहे हैं। यह गलत है। विभाग को इसके बारे में गम्भीरता से सोचकर उचित पग उठाने चाहिए।

<u>सिफारिश</u>

समिति द्वारा दिए गए सुझाव अनुरूप विभाग द्वारा बान्धों से निकलने वाली सिल्ट के सम्बन्ध में प्रोजैक्ट अधिकारियों/जिला उपायुक्तों के साथ क्या माहवार बैठकें करवाई जा रही है तथा उसमें लिए गए निर्णय से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.13.2 <u>कार्यों के संयुक्त निरीक्षण के लिए स्थायी समिति का गठन</u>

<u>सिफारिश</u>

समिति को केन्द्रीय जल आयोग से स्थाई समिति के गठन हेतु किए गए अनुरोध/संयुक्त निरीक्षण की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.13.3 <u>प्रमुख परियोजनाओं के लिए समीक्षा समिति का गठन</u>

सिफारिश

समिति को समीक्षा समिति के गठन की प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.13.4 व्यय की लेखापरीक्षित विवरणियों का प्रस्तुत न करना

सिफारिश

विभाग द्वारा कोताही के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई अमल में लाई गई की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.13.5 समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन

सिफारिश

समिति जानना चाहती है कि क्या अब 4 बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम परियोजनाओं में अध्ययन किया जा रहा है या नहीं, की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 2.3.13.6 निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन

सिफारिश

विभाग द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं से अपेक्षित उत्तरों को उपलब्ध करवाने हेतु की कार्रवाई से समिति को अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या: 3.12 राशि 88 लाख मूल्य के पाईपों का गैर-लेखाकरण

समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय प्रतिनिधि से जानना चाहा कि नाहन वृत के अन्तर्गत पांवटा मण्डल से नौहराधार मण्डल को मु0 88 लाख रुपये की राशि को जमा करने उपरान्त "लोक निर्माण" जमा शीर्ष में रखने के क्या कारण रहे ? उससे संबंधित अभिलेख की प्रति समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें। ये पाइप्स नॉन-अकाउंटिड रह गए और बजट प्रोसैस से बाहर हो गए। यह लेखापरीक्षा की आपत्ति है। ये अकाउंट फॉर ही नहीं हुए। यह मामला नौहराधार डिवीजन से संबंधित है। इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि विभाग को इसको देखना पड़ेगा। विभाग समिति के समक्ष कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिसके तथ्यों के बारे में जानकारी न हो इस सारे मामले को चैक करवाने उपरान्त ही समिति को अवगत करवा दिया जाएगा।

सिफारिश

मौखिक साक्ष्य दौरान विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को आश्वस्त किया कि इस पैरे से सम्बन्धित सूचना जांच-पड़ताल उपरान्त उपलब्ध करवा दी जाएगी परन्तु प्रतिवेदन तैयार करने तक विभाग द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई जोकि लापरवाही को दर्शाता है। अत: समिति कड़ा संज्ञान लेते हुए विभाग को निर्देश देती है कि इससे सम्बन्धित सूचना/उत्तर समय

रहते समिति को उपलब्ध करवाएं जिसका अवलोकन समिति कार्रवाई स्तर पर करेगी।

पैरा संख्या: 3.13 सीवरेज स्कीम पर निष्फल व्यय

समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय प्रतिनिधि से जानना चाहा कि भूमि विवाद के कारण कार्य रुका पड़ा है जबकि विभाग को कार्य आरम्भ करने से पूर्व सारी औपचारिकताएं पूर्ण करनी चाहिए थीं। उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), सरकाघाट द्वारा भू-मालिकों से समझौता वार्ता करने हेतु दिनांक 10 जुलाई, 2018 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाया जाए। इस पर विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि विभाग की 32 स्कीम्ज ऑपरेशनल हैं, जिसमें सरकाघाट भी एक योजना है। वर्तमान स्टेटस यह है कि सरकाघाट स्कीम ऑपरेशनल है। इस पर समिति ने जानना चाहा कि दिनांक 2 अगस्त, 2018 को विभाग का उत्तर आया है जिसमें अवगत करवाया गया है कि "जोन-ग" में भी इस कार्य को पूर्ण करने में विलम्ब का मुख्य कारण भूमि विवाद रहा है, जिसके लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है जिसमें 116 लोग सम्मिलित हैं। जिसके लिए पूर्व में जो भू-अर्जन कागज़ात बनाकर उपायुक्त महोदय के माध्यम से सचिव, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजे गए थे जिन्हें उप-सचिव सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस टिप्पणी के साथ वापिस कर दिया गया कि निजी भूमि का अधिग्रहण केवल प्राइवेट नेगोसिएशन के माध्यम से किया जाए। जिसके लिए उपमण्डलाधिकारी (ना0) सरकाघाट से आवश्यक कागजात बारे पत्राचार किया गया था तथा कागज़ात इस कार्यालय को प्राप्त हो गए हैं। उपमण्डलाधिकारी(ना0) सरकाघाट द्वारा भू-मालिकों से समझौता वार्ता करने हेतु दिनांक 10 जुलाई, 2018 की तिथि निर्धारित की है। " समिति ने यह जानना चाहा कि निजी भूमि के बारे में क्या हुआ है के प्रत्युत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि वर्तमान स्थिति यह है कि योजना कार्यरत्त है। फिर भी जैसा समिति पूछ रही है विभाग इसके बारे में पता करके समिति को अवगत करवा दिया जाएगा । समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय उत्तर पर विचार -विमर्श करने उपरान्त पैरा को समाप्त करने का निर्णय लिया।

टिप्पणी

समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय उत्तर पर विचारोपरान्त पैरा को समाप्त करने का निर्णय लिया।

राजस्व क्षेत्र

पैरा संख्या: 1.1, 1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति 1.1.3

सिफारिश

समिति निर्देश देती है कि विभाग भविष्य में बजट आकलन तैयार करते समय बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए बजट आकलन तैयार करें ताकि बजट आकलन एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर कम से कम हो तथा बजट आकलन वास्तविक प्रतीत हो।

पैरा संख्या: 1.2 राजस्व बकायों का विश्लेषण

टिप्पणी

समिति ने इस पैरे को यहां से इस आशय से समाप्त किया है कि इससे सम्बन्धित विभागीय कार्रवाई सी0ए0जी0के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16(सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) के पैरा संख्या: 3.7.2, 3.7.2.1 व 3.7.2.4 में अपेक्षित रहेगी।

पैरा संख्या:1.6 लेखा परीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

टिप्पणी

समिति ने इस पैरा को यहां से इस आशय से समाप्त किया है कि इससे सम्बन्धित विभागीय कार्रवाई सी0ए0जी0के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 के पैरा संख्या: 1.6 में अपेक्षित रहेगी।

पैरा संख्या: 1.7.1 निरीक्षण प्रतिवदेनों की स्थिति

टिप्पणी

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती है।

*****